

कार्यालय, अध्यक्ष काउंसलिंग समिति, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश

चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर/एकलव्य योजनान्तर्गत डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के आधार पर प्रवेश हेतु मध्यप्रदेश के शासकीय क्षेत्र के पोलिटेकनिक संस्थानों में संचालित

ऑनलाइन काउंसलिंग, सत्र 2018-19

योजनान्तर्गत उपलब्ध सुविधाएँ, संस्थाएँ/पाठ्यक्रम, पात्रता एवं शैक्षणिक अर्हताएँ,

क्र	मद	सुविधाएँ
1.	शिक्षण शुल्क	निःशुल्क
2.	छात्रवृत्ति	रुपये 1,000/- प्रतिमाह
3.	निःशुल्क स्टेशनरी, ड्राइंग एवं अन्य सामग्री	उप-सत्र अधिकतम रुपये 2,000/-
4.	पाठ्य पुस्तकें	निःशुल्क
5.	छात्रावास एवं भोजन	निःशुल्क
6.	परीक्षा शुल्क	आरजीपीवी, भोपाल की वास्तविक परीक्षा शुल्क राशि की सीमा तक

क्र	संस्था का नाम	उपलब्ध ब्रांच	सीट	सुविधाओं हेतु पात्रता
1.	शासकीय पोलिटेकनिक महाविद्यालय, मुरैना. (डॉ0 बाबा साहब अम्बेडकर योजनान्तर्गत संचालित)	1. इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग 2. मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3. कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग 4. इलैक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन	60 60 60 60	मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार (छात्र) जिनकी परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय ₹1.80 लाख से अधिक न हो
2.	शासकीय महिला पोलिटेकनिक महाविद्यालय, सीहोर. (डॉ0 बाबा साहब अम्बेडकर योजनान्तर्गत संचालित)	1. मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट (एमओएम) 2. कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग	60 60	मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवार (छात्राएँ) जिनकी परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रुपये 1.80 लाख से अधिक न हो
3.	शासकीय पोलिटेकनिक महाविद्यालय, लटेशी (सह-शिक्षा) (डॉ0 बाबा साहब अम्बेडकर योजनान्तर्गत संचालित)	1. मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2. कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग 3. सिविल इंजीनियरिंग 4. इलैक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन	30 30 30 30	मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति के पुरुष एवं महिला उम्मीदवार जिनकी परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रुपये 1.80 लाख से अधिक न हो
4.	शासकीय पोलिटेकनिक महाविद्यालय, झाबुआ (एकलव्य योजनान्तर्गत संचालित)	1. इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग 2. मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3. कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग 4. सिविल इंजीनियरिंग	60 60 60 60	मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जनजाति के पुरुष उम्मीदवार (छात्र) जिनकी परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय ₹1.80 लाख से अधिक न हो
5.	शासकीय पोलिटेकनिक महाविद्यालय, मण्डला. (एकलव्य योजनान्तर्गत संचालित)	1. कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग 2. इलैक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन 3. इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग	60 60 60	मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जनजाति की महिला उम्मीदवार (छात्राएँ) जिनकी परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय ₹1.80 लाख से अधिक न हो
6.	शासकीय पोलिटेकनिक महाविद्यालय, हरसूद (सह-शिक्षा) (एकलव्य योजनान्तर्गत संचालित)	1. मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2. कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग 3. सिविल इंजीनियरिंग 4. इलैक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन	30 30 30 30	मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिला उम्मीदवार जिनकी परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रुपये 1.80 लाख से अधिक न हो

प्रवेश हेतु पात्रता के लिये निर्धारित शैक्षणिक अर्हता

स. क्र.	पाठ्यक्रम/ब्रांच	अवधि	प्रवेश हेतु पात्रता के लिये निर्धारित शैक्षणिक अर्हता
समूह 'अ' के पाठ्यक्रम:-			
1.	इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग	3 वर्ष	माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से (10+2) प्रणाली की दसवीं कक्षा की परीक्षा/SSC परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा विज्ञान (भौतिक एवं रसायन) तथा गणित विषयों के साथ न्यूनतम 35 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
2.	मैकेनिकल इंजीनियरिंग	3 वर्ष	
3.	कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग	3 वर्ष	
4.	इलैक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन	3 वर्ष	
5.	सिविल इंजीनियरिंग	3 वर्ष	
समूह 'ब' के पाठ्यक्रम:-			
1.	मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट (एमओएम)	3 वर्ष	माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 प्रणाली की बारहवीं कक्षा की परीक्षा किसी भी विषय समूह के साथ न्यूनतम 35 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।

- 1) ऐसे उम्मीदवार जिनकी अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची ग्रेडिंग सिस्टम पर आधारित है, अंकसूची में दिये परिवर्तन सूत्र अनुसार ग्रेड को अंकों में परिवर्तित कर आवेदन प्रस्तुत करेंगे।
- 2) ऐसे विकलांग उम्मीदवार जो 40 प्रतिशत या 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता रखते हैं, प्रवेश नियम के अनुसार मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने की शर्त को पूर्ण करते हैं, के लिए प्रत्येक पोलीटेकनिक महाविद्यालय में ब्रांचवार प्रवेश क्षमता में 3 प्रतिशत सीटों का क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण केवल उस श्रेणी में रहेगा, जिस श्रेणी के लिये वह पोलीटेकनिक महाविद्यालय आरक्षित है, **(सह-शिक्षा पोलीटेकनिक महाविद्यालयों को छोड़कर)**।

महत्वपूर्ण निर्देश

पंजीयन (Registration) :-

1. काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों को अर्हकारी परीक्षा की मेरिट पर आधारित काउंसलिंग में **केवल एक बार पंजीयन** कराना आवश्यक होगा, जो कि **निःशुल्क** रहेगा। काउंसलिंग के उत्तरोत्तर चरण में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी को पुनः पंजीयन की आवश्यकता नहीं होगी।
2. ऑनलाईन जानकारी उपलब्ध होने पर, पंजीयन के समय अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम, श्रेणी/वर्ग का सत्यापन अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये रोल नंबर/आधार नंबर/समग्र आईडी नंबर एवं संबंधित विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा उपलब्ध जानकारी के आधार पर ऑनलाईन-सत्यापन किया जाकर पंजीयन सह-दस्तावेज सत्यापन की पर्ची जारी की जावेगी। जिन अभ्यर्थियों की सभी जानकारियां ऑनलाईन सत्यापित हो जाएगी, उन्हें सहायता केन्द्रों पर दस्तावेजों के सत्यापन के लिये उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन आंशिक रूप से अथवा पूर्णतः नहीं हो पाता है ऐसे अभ्यर्थियों को केवल पंजीयन पर्ची जारी की जावेगी और उन्हें अपने दस्तावेजों का सत्यापन सहायता केन्द्रों पर करवाना अनिवार्य होगा।
3. प्रथम/द्वितीय चरण अर्हकारी परीक्षा के आधार पर काउंसलिंग में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य है।
4. पंजीयन के समय आधार नंबर अनिवार्य है आधार नंबर न होने की स्थिति में ही आधार पंजीयन नामांकन नंबर (16 डिजीट) का उपयोग अभ्यर्थी कर सकेंगे। यदि आधार नंबर उपलब्ध नहीं है तो पंजीयन के पूर्व अभ्यर्थी आधार बनवाने की प्रक्रिया पूर्ण कर लेवे।
5. अभ्यर्थियों को आधार का सत्यापन करवाना होगा, आधार सत्यापन हेतु आधार में पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपी के माध्यम से अथवा बायोमैट्रिक मशीन द्वारा एमपीऑनलाईन के कियोस्क अथवा काउंसलिंग के अधिकृत सहायता केन्द्रों से भी किया जा सकता है। यह प्रक्रिया दस्तावेजों के सत्यापन के समय तक पूर्ण करना अनिवार्य है।

सत्यापन (Verification) :-

1. पंजीयन के समय केवल पंजीयन की पर्ची प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता चयन के पूर्व अथवा आवंटन उपरांत अपने मूल दस्तावेजों का अधिकृत निकटस्थ सहायता केन्द्र पर सत्यापन करवाना होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पंजीयन सह-दस्तावेज सत्यापन की पर्ची प्राप्त हुई है उन्हें अधिकृत सहायता केन्द्रों से सत्यापन कराने की आवश्यकता नहीं है।
2. दस्तावेजों के सत्यापन की कार्यवाही अधिकृत सहायता केन्द्र से पूर्ण करवा चुके अभ्यर्थी, यदि काउंसलिंग के आगामी चरण में भाग लेने के इच्छुक हैं, तब उन्हें दस्तावेजों का पुनः सत्यापन करवाना आवश्यक नहीं होगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी यदि सत्यापन में सुधार करवाना चाहते हैं तो वे पुनः सत्यापन संबंधी कार्यवाही अधिकृत सहायता केन्द्रों पर उपस्थित होकर करवा सकते हैं।
3. प्राथमिकता चयन के पूर्व यदि अभ्यर्थी के समस्त दस्तावेजों का सत्यापन ऑनलाईन अथवा सहायता केन्द्रों पर नहीं हो सका है तब ऐसे अभ्यर्थी को आवंटन उपरांत अपने दस्तावेजों का सत्यापन अधिकृत सहायता केन्द्रों/आवंटित संस्था से कराना आवश्यक होगा। दस्तावेजों के सत्यापन के अभाव में अभ्यर्थी आवंटित संस्था में प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकेंगे।
4. जिन अभ्यर्थियों ने प्राथमिकता चयन के पूर्व दस्तावेजों का सत्यापन नहीं कराया है ऐसे अभ्यर्थियों का उनके द्वारा पंजीयन के समय उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर आवंटन किया जावेगा। आवंटन उपरांत दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो अभ्यर्थी का आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जावेगा।
5. ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिन्हें आवंटन प्राप्त हुआ है एवं पंजीयन के समय उन्हें ऑनलाईन सत्यापित होकर पंजीयन सह-दस्तावेज सत्यापन की पर्ची प्राप्त नहीं हुई है, वे सीधे आवंटित संस्था में उपस्थित होकर अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराकर प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण करेंगे।
6. ऐसे अभ्यर्थी जिनका आधार सत्यापन ओटीपी अथवा बायोमैट्रिक के माध्यम से नहीं हो सका है उन्हें निकटस्थ अधिकृत सहायता केन्द्र पर उपस्थित होकर आधार सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण करनी होगी।

प्राथमिकताक्रम का चयन (Choice Filling):-

1. अभ्यर्थी द्वारा न्यूनतम 01 तथा अधिक से अधिक सभी उपलब्ध संस्थाओं/पाठ्यक्रम का प्राथमिकतानुसार ऑनलाईन चयन कर सकेंगे। अभ्यर्थी को अधिक से अधिक प्राथमिकता (Choice) भरने की सलाह दी जाती है।
2. काउंसलिंग में सम्मिलित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों को प्रत्येक चरण में संस्थाओं की ऑनलाईन प्राथमिकताक्रम का चयन (च्वाईस फिलिंग) उपरांत लॉक की कार्यवाही पूर्ण करना आवश्यक होगा। ऑनलाईन प्राथमिकताक्रम का चयन (च्वाईस फिलिंग) को लॉक करने हेतु समस्त श्रेणी/वर्ग के अभ्यर्थियों को पोर्टल शुल्क रुपये 130/- देय होगा, उक्त शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा (नॉन-रिफण्डेबल)।

3. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने काउंसलिंग के किसी पूर्ववर्ती चरण में आवंटन उपरांत संस्था में प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण नहीं की है, अथवा जिन्होंने संस्था में प्रवेश प्राप्त कर उसको निरस्त करवा लिया है, उन्हें काउंसलिंग के उत्तरोत्तर चरण में सम्मिलित होने के लिये संस्थाओं की ऑनलाईन प्राथमिकता क्रम के चयन उपरांत लॉक की कार्यवाही पुनः पूर्ण करना होगा। ऐसे समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को **प्राथमिकताक्रम का चयन (च्वाईस फिलिंग)** करने के लिये रुपये 130/-पोर्टल शुल्क देय होगा, उक्त समस्त शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा (नॉन-रिफण्डेबल)।
4. काउंसलिंग हेतु भुगतान करने के माध्यम:-
 - इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड।
 - अधिकृत सहायता केन्द्रों पर उपलब्ध कियोस्क पर नगद भुगतान।
 - एमपीऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क पर नगद भुगतान।

आवंटन (Allotment):-

1. अर्हकारी परीक्षा के अंकों की तैयार मेरिट के आधार पर प्राथमिकताक्रमानुसार सीट का आवंटन जारी किया जायेगा।

प्रवेश (Admission) :-

1. समस्त अभ्यर्थी सीधे आवंटित संस्था में उपस्थित होकर अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराकर प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण करेंगे।

सामान्य निर्देश

1. काउंसलिंग में शामिल होने वाले समस्त अभ्यर्थी अपना आधार नंबर तैयार रखें।
2. आधार सत्यापन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु अभ्यर्थी निकटतम अधिकृत सहायता केन्द्र से संपर्क स्थापित करें।
3. अभ्यर्थी स्वयं का विशेष मोबाइल नंबर तथा ई-मेल आईडी तैयार रखें।
4. प्रत्येक कार्यवाही उपरांत ऑनलाइन प्रिन्ट अवश्य प्राप्त करें। काउंसलिंग संबंधी समस्त ईमेल/एसएमएस सुरक्षित रखें।
5. सत्यापन उपरांत सत्यापन करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षरित पावती अवश्य प्राप्त करें।
6. शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग/एटीएम कार्ड/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। उक्त सुविधा न होने पर किसी भी अधिकृत सहायता केन्द्र (काउंसलिंग प्राधिकारी द्वारा अधिकृत) अथवा एमपीऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क पर नगद भुगतान द्वारा किया जा सकता है।
7. प्राथमिकताक्रम का चयन (च्वाईस फिलिंग) उपरांत लॉक करने के लिये नगद भुगतान के विकल्प के उपयोग करने वाले अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अपनी सुविधानुसार सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन उपरांत च्वाईस फिलिंग की कार्यवाही इंटरनेट द्वारा कम्प्यूटर/एमपी मोबाइल (**MPMobile**) **एन्ड्रॉयड एप** पर कहीं से भी संपादित कर सेव (**Save**) कर लें, तत्पश्चात् ही किसी अधिकृत सहायता केन्द्र/एमपीऑनलाईन के कियोस्क पर जाकर नगद भुगतान कर ऑनलाइन रसीद प्राप्त करें।
8. अधिकृत सहायता केन्द्रों (**Help Centres**) (सूची वेबसाइट dte.mponline.gov.in/dtempcounselling.org पर उपलब्ध रहेगी)।
9. सहायता केन्द्रों या आवंटित संस्था में अपने मूल दस्तावेज कदापि जमा न करें तथा सत्यापन उपरांत वापिस ले लें। किसी भी अनजान व्यक्ति, एजेंट/दलालों को अपने दस्तावेज/फोटोकापी न दें।
10. प्रवेश नियम व काउंसलिंग प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी www.dtempcounselling.org तथा dte.mponline.gov.in पर उपलब्ध है जिसका अभ्यर्थी सूक्ष्मता से अध्ययन कर काउंसलिंग में सम्मिलित होंगे।

अभ्यर्थियों एवं अभिभावकों हेतु महत्वपूर्ण सुझाव एवं सावधानियां

1. मूल दस्तावेज किसी भी परिस्थिति में जमा नहीं करें। आवंटित संस्था में प्रवेश के समय आवश्यक दस्तावेजों की केवल फोटोप्रति ही जमा करनी हैं। संस्था में प्रवेश के समय स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टीसी) की मूल प्रति आवश्यक रूप से जमा की जाना है तथा आवश्यक होने पर माईग्रेशन की मूल प्रति भी जमा करनी होगी।
2. काउंसलिंग में पंजीयन (**Registration**) के लिये ईमेल आईडी एवं मोबाइल नम्बर पूर्व से निर्धारित कर लें। काउंसलिंग पंजीयन, प्राथमिकता चयन, आवंटन, सत्यापन एवं संस्था में रिपोर्टिंग इत्यादि संबंधी आवश्यक निर्देश उक्त ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर पर ही भेजे जावेंगे।
3. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त संस्थानों की सूची वेबसाइट www.dtempcounselling.org तथा dte.mponline.gov.in पर उपलब्ध रहेगी। अभ्यर्थी तदानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही संपादित करें।
4. शुल्क के विवरण हेतु प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, मध्यप्रदेश भोपाल की वेबसाइट www.afrcmp.org देखें।
सम्पर्क फोन नम्बर : 0755-4036802

काउंसलिंग में शामिल होने के लिये आधार अनिवार्य है

अध्यक्ष-काउंसलिंग समिति एवं
संचालक तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश